भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 314 जिसका उत्तर

मंगलवार, 22 **जुलाई, 2025** (31 **आषाढ़, 1947,(शक))** को दिया जाना है

एमएससी ईएलएसए 3 जहाज दुर्घटना

314 श्री संदोष कुमार पी:

क्या **पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार 25 मई, 2025 को केरल के तट से लगभग 13 समुद्री मील दूर एमएससी ईएलएसए 3 जहाज के डूबने की घटना की कोई जांच कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने नौवहन कंपनी के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाई की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने क्षेत्र में रहने वाले मछुआरा समुदाय को मुआवजा दिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ङ): नौवहन महानिदेशालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक फील्ड कार्यालय वाणिज्य समुद्री विभाग (एमएमडी), कोच्ची द्वारा इस घटना के लिए जिम्मेदार करकों का पता लगाने के लिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत इस घटना की सांविधिक प्रारंभिक पूछताछ और जांच की जा रही है। वर्तमान में, प्रारंभिक पूछताछ जारी है। आंतरिक जांच के पूरा होने और अंतिम निष्कर्ष प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।
